बेल नं० आर /२२

<u>**१३–१०–२०२२**</u> <u>**आदेश**</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण नन्दकिशोर, बबलू एवं नन्कू द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र वाद सं० २२८१२/२२ धारा ३२३,५०४,५०६,४२७ भा०दं०सं० थाना उसावां में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण करके न्यायिक अभिरक्षा में है। अपराध जमानतीय है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन २०,००० रूपये का निजी बंध पत्र तथा इसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(मेघा चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय
बदायूँ